

मउप...  
सुपवाही के आदेश  
वाले बरस प्र.पत्र नं. 15773 14.10.25  
को पेश हो रहा है।  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

14.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी  
अस्थित। वकील अर्थात् स. 01, 02, 03 अनुसूचित  
प्र.पत्र नं. 2 पर वकील पार्थी की बरस पुनी  
गई। पत्रावली वाले आदेश प्राबल्य नं. 2  
दिनांक 18.11.25 को पेश हो रहा है।  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

18.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय  
पक्ष अस्थित। पार्थी का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा  
212 राजस्थान मशतकारी अधिनियम 1953  
अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक  
से लिखणया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ  
जुडी हो रही है।  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)